तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24.05.2023 प्रेमाराम	प्रार्थी के आवेदन पर आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में हस्तगत प्रकरण विचाराधीन है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही गांव के होने एवं समाज के मौजीज लोगों द्वारा समझाईश करवाने एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हमने हमारे भावी सम्बन्धों व हितों को ध्यान में रखते हुए आपस में राजीनामा हर लिया है। लिहाजा माननीय न्यायालय में विचाराधीन हस्तगत प्रकरण को जरिये विड्रो खारिज करवाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी हस्तगत प्रकरण को आगे नही चलाना चाहता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये विड्रो से खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर